न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 155/2016 **दायर दिनांकः 05.07.2016**

उनवान

1. मोहनलाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्रीकृष्ण जाति कुम्हार निवासी कुंन्जैड हाल मुकाम धर्मकाटा के पास आनन्द विहार कालोनी कोटा रोड बारां जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. भैरूपुरी पुत्र बिरधापुरी जाति गुसाई निवासी कुन्जैड (मृतक)

1/1 छीतरलाल पुत्र भैरूपुरी जाति गुसाई निवासी कुन्जैड तहसील अटरू।

1/2 चौथमल पुत्र भैरूपुरी जाति गुसाई निवासी कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां।

1/3 सुरजा बाई पुत्री भैरूपुरी पत्नि दुर्गाशंकर जाति गुसाई निवासी सोरसन तहसील अन्ता जिला बारां राज0।

1/4 कैलाश बाई पुत्री भैरूपुरी पत्नि लालचन्द जाति गुसाई निवासी मकरावदा तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।

1/5 रूकमणी बाई पुत्री भैरूपुरी पत्नि हंसराज जाति गुसाई निवासी बालून्दा तहसील बडौदा जिला श्योपुर (म0प्र0)

2. मोडयापुरी पुत्र बिरधापुरी जाति गुसाई निवासी कुन्जैड (मृतक)

2/1 मांगीलाल पुत्र मोडयापुरी जाति गुसाई निवासी कुन्जैड

2/2 पुष्पा बाई पुत्री मोडयापुरी पत्नि गजानन्द जाति गुसाई निवासी कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

2/3 मूली बाई पुत्री मोडयापुरी पत्नि गजानन्द जाति गुसाई निवासी छीकली तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज0।

2/4 प्रेमबाई पुत्री मोडयापुरी पत्नि भंवरलाल जाति गुसाई निवासी सकरावदा तहसील किशनगंज जिला बारां राज0।

3. गोपालपुरी पुत्र बिरधापुरी जाति गुसाई निवासी कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां राज0।

4. मुकेश पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां।
5. शाखा प्रबन्धक महोदय हाडौती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुन्जैड।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 183 आर टी एक्ट</u>

उपस्थितिः–
वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।
प्रतिवादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री सोमित्र सिंह।

निर्णय दिनांक 12/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादिया ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 53, 183, आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां में मोडयापुरी, गोपालपुरी पिसरान बिरधापुरी जाति गुसाई निवासी कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां के खाते की आराजी पुराना ख0नं0 862 का रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, ख0नं0 870 का रकबा 1 बिस्वा, ख0नं0 872 का रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख0नं0 1087 का रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 1183 का रकबा 1 बिस्वा, ख0नं0 1187 का रकबा 2 बिस्वा कुल किता 6 का कुल रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा आराजी स्थित थी। जिसमें से ख0नं0 1087 का रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा का 2/3 हिस्सा सिराजुद्दीन पुत्र रहीम बक्श को बेचान कर दिया था इसी नम्बर का 1/3 हिस्सा सिराजुद्दीन पुत्र रहीम बक्श को बेचान कर दिया था इसी नम्बर का 1/3 हिस्सा भैरूपुरी ने बैंक में रहन रख दिया था, शेष भूमि 4 बीघा 3 बिस्वा को खातेदारान द्वारा जिनका शेष भूमि में 2/3 हिस्सा दर्ज था को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 12.05.1992 द्वारा वादी को बेचान करके कब्जा सम्भला दिया था, क्रय शुदा आराजी 4 बीघा 3 बिस्वा को वादी ही खरीद की तारीख से आज दिन तक काश्त करता चला आ रहा है, विक्रय विलेख दिनांक 12.05.1992 तथा मिलान क्षैत्रफल तथा नवीन जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादी द्वारा आराजी रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीदने के बाद में सहवन से वादी विक्रय विलेख के आधार पर आराजी अपने नाम खाता दर्ज नही करा सका और सेटलमेन्ट द्वारा नवीन जमाबन्दी तैयार करते समय खाता संख्या 309 का ख0नं0 869 का रकबा 0.12 है, ख0नं0 874 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 874/1721 का रकबा 0.12 है0

ख0नं0 1217/1594 का रकबा 0.49 है0, ख0नं0 1311 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1322 का रकबा 0.01 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 1.26 है0 शामलाती रूप से 1/3 हिस्सा मुकेश पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी रामपुरिया तथा 2/3 हिस्सा भैरूपुरी, गोपालपुरी पुत्र बिरधापुरी जाति गुसाई का नाम दर्ज कर दिया जबकि 2/3 हिस्से में विक्रय विलेख दिनांक 12.05.1992 के आधार पर वादी का नाम दर्ज खाता होना चाहिये था, वादी वर्तमान मे क्रय शुदा आराजी नवीन ख0नं0 869 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 874 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 1311 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1322 का रकबा 0.01 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.65 है0 पर काबिज है। लेकिन आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने की वजह से वह वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है, उक्त आशय की धमकी दिनांक 20.03.2016 को प्रतिवादीगण ने वादी को दी तथा 27.05.2016 को पुनः धमकी दी कि खेतों पर जहां तक खाते दर्ज नही हो जावें वहां तक मत जाना, इस वर्ष हम ही काश्त करेंगे। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीगण को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है, अगर प्रतिवादीगण ने वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया तो वादी अपने स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी से वंचित हो जावेगा। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं है, इस वजह से वादी वाद पत्र पेश कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की पारित की जावें कि खाता संख्या 309 का ख0नं0 869 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 874 का करबा 0.50 है0, ख0नं0 874/1721 का रकबा 0.12 है0 1217/1594 का रकबा 0.49 है0, ख0नं0 1311 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1322 का रकबा 0.01 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 1.26 है0 माल कुन्जैड तहसील अटरू की आराजी पर से भैरूपुरी, गोपालपुरी का नाम खाते में से हटाया जाकर 2/3 हिस्से पर वादी का नाम बेचान नामे के आधार पर दर्ज किया जावें तथा आराजी का विभाजन किया जाकर वादी का खरीद शुदा नवीन रकबा ख0नं0 869 का रकबा 0.12 है0 874 का रकबा 0.50 है0 ख0नं0 1311 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1322 का रकबा 0.01 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.65 है0 वादी के अलग से खाते दर्ज की जावें जिस पर वादी वर्तमान में काबिज है। अगर दौराने वाद प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर लेवे तो

उन्हे बेदखल करके कब्जा वादी को दिलाया जावें। वादी द्वारा राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 जा0दी0 का रजिस्टर्ड नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित करवा दिया है लेकिन वर्तमान में वादी की क्रय शुदा आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के खाते दर्ज है। और वह जबरन कब्जा करने पर था आराजी खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। यदि वादी द्वारा नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया और इस अवधि मे प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 द्वारा आराजी पर जबरन कब्जा कर दि गया और आराजी को खुर्द बुर्द कर दिया तो वादी द्वारा बाद में वाद पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा। इस वजह से वादी का वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही धारा 80 2 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ में वाद पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तत धारा 80 (2) जा0दी0 स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद की सुनवाई की जावें। विवाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम व माल कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। जिस पक्षकारान ने आराजी रहन रखकर ऋण ले रखा है। वह ऋण उसी से जमा कराया जावें। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 20.03.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 27.05.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को आराजी पर काश्त नही करने देने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र मे उत्पन्न हुआ। अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय मे वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की पारित की जावें किः—

(अ) वाद पत्र के मद नं0 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या 309 मे से खातेदार भैरूपुरी, गोपालपुरी पिसरान बिरधापुरी का नाम खाते में से हटाया जाकर उनके स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावें वादी को 2/3 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) वाद पत्र के मद नं0 2 में वर्णित आराजी का विभाजन किया जाकर वादी का क्रय शुदा नवीन ख0नं0 869 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 874 का रकबा 0.50 है0, ख0नं0 1311 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1322 का रकबा 0.01 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 0.65 है0 वादी के पृथक से खातें दर्ज किया जावें।

(स) अगर दौराने वाद प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 जबरन कब्जा कर लेवे तो उन्हे बेदखल करके कब्जा वादी को दिलाया जावे।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा वकालत नामा, व जवाब दावा हेतु अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी पेश न करने के कारण जवाब दावा प्रतिवादीगण का बंद किया जाता है। साक्ष्यवादिया के तहत् PW_1 के बयान लेखबद्ध किये,

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी बहस पर ममन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम कुन्जैड में खातेदार मोडयापुरी गोपालपुरी पिसरान बिरधापुरी गुसाई निवासी कुन्जैड की आराजी पुराना ख0नं0 862 2 बीघा 17 बिस्वा ख0नं0 870 का रकबा 1 बिस्वा ख0नं0 872 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा ख0नं0 1087 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा ख0नं0 1183 रकबा 1 बिस्वा ख0नं0 1187 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा खाते दर्ज थी जिसमें से ख0नं0 1087 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा का 2/3 सिराजुद्धीन पुत्र रहीम बक्शा को बैचान कर दिया गया तथा शेष भूमि 4 बीघा 3 बिस्वा को खातेदारान द्वारा जिनका शेष भूमि 2/3 हिस्सा दर्ज था।

विक्रय विलेख दिनांक 12.05.1992 द्वारा वादी को बैचान करके कब्जा सम्भला दिया था तब से वादी ही काश्त करता चला आ रहा है। मिलान क्षैत्रफल तथा नवीन जमाबन्दी संलग्न है। सेटलमेन्ट द्वारा नवीन जमाबन्दी तैयार करते समय खाता नं0 309 किता 6 रकबा 1.26 है0 शामलाती खाते में से 1/3 हिस्सा मुकेश तथा 2/3 भैरूपुरी गोपालपुरी पुत्र बिरधापुरी के नाम

दर्ज कर दिया विक्रय विलेख दिनांक 12.05.1992 के अनुसार वादी का नाम नवीन ख0नं0 869 रकबा 0.12 है0 ख0ं0 874 रकबा 0.50 है0 ख0नं0 1311 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 1322 रकबा 0.01 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.65 है0 पर काबिज है। लेकिन आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है। जिसको वादी अपने नाम रजिस्टर्ड बैचान नामें अनुसार भूमि खाते दर्ज करवाना चाहते है। उपरोक्त विवेचन व रिकार्ड अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कुन्जैड की खाता संख्या 309 ख0नं0 869 रकबा 0.12 है0 ख0नं0 874 रकबा 0.50 है0 ख0नं0 1311 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 1322 रकबा 0.01 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.65 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पृथक से खाते दर्ज करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 155/2016

उनवान

1. मोहनलाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्रीकृष्ण जाति कुम्हार निवासी कुंन्जैड हाल मुकाम धर्मकाटा के पास आनन्द विहार कालोनी कोटा रोड बारां जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. भैरूपुरी पुत्र बिरधापुरी जाति गुसाई निवासी कुन्जैड (मृतक)

1/1 छीतरलाल पुत्र भैरूपुरी जाति गुसाई निवासी कुन्जैड तहसील अटरू।

1/2 चौथमल पुत्र भैरूपुरी जाति गुसाई निवासी कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां।

1/3 सुरजा बाई पुत्री भैरूपुरी पत्नि दुर्गाशंकर जाति गुसाई निवासी सोरसन तहसील अन्ता जिला बारां राज0।

1/4 कैलाश बाई पुत्री भैरूपुरी पत्नि लालचन्द जाति गुसाई निवासी मकरावदा तहसील सांगोद जिला कोटा राज0।

1/5 रूकमणी बाई पुत्री भैरूपुरी पत्नि हंसराज जाति गुसाई निवासी बालून्दा तहसील बडौदा जिला श्योपुर (म0प्र0)

2. मोडयापुरी पुत्र बिरधापुरी जाति गुसाई निवासी कुन्जैड (मृतक)

2/1 मांगीलाल पुत्र मोडयापुरी जाति गुसाई निवासी कुन्जैड

2/2 पुष्पा बाई पुत्री मोडयापुरी पत्नि गजानन्द जाति गुसाई निवासी कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

2/3 मूली बाई पुत्री मोडयापुरी पत्नि गजानन्द जाति गुसाई निवासी छीकली तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज0।

2/4 प्रेमबाई पुत्री मोडयापुरी पत्नि भंवरलाल जाति गुसाई निवासी सकरावदा तहसील किशनगंज जिला बारां राज0।

3. गोपालपुरी पुत्र बिरधापुरी जाति गुसाई निवासी कुन्जैड तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. मुकेश पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां।
5. शाखा प्रबन्धक महोदय हाडौती क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुन्जैड।
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 183 आर टी एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री सोमित्र सिंह।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कुन्जैड की खाता संख्या 309 ख0नं0 869 रकबा 0.12 है0 ख0नं0 874 रकबा 0.50 है0 ख0नं0 1311 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 1322 रकबा 0.01 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.65 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पृथक से खाते दर्ज करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 16:15:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: